प्रे०क० 02/2019 सोहनराम vs स्टेट

जारी हुए

11.09.2019

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी की बहस दिनांक 05.9.19 को सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया कि न्यायालयष अति0 जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 31.5.99 को मा0राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.19 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 31.5.99 के अनुसार प्रश्नगत आराजी को जरिये इन्तकाल नं0 149 दिनांक 9.7.99 से राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में मा0 राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 31.5.99 अपास्त किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र 144 सीपीसी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड की निर्णय दिनांक 31.5.99 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1981 पेज 317,आरआरडी 1990 पेज 355 व आरआरडी 1991 पेज 18 प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि पूर्व मे दर्ज इन्तकाल विधि अनुसार दर्ज किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया गया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.5.99 को मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.01.19 द्वारा अपास्त किया जा चुका है साथ ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.08.2006 को भी अपास्त किया जा चुका है। इस प्रकार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.99 अपास्त होने के कारण प्रश्नगत भूमि की इस निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल करना उचित है।

अतः प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.99 की पालना में चक 10 एफटीपी में दर्ज इन्तकाल सं0 149 दिनांक 09.7.99 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल करने हेतु तहसीलदार टिब्बी को आदेश दिये जाते हैं। आदेशिका की प्रति तहसीलदार टिब्बी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर

( अशोक असीजा )
अपर जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official